

दिनांक 16 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

घरेलू चाय उत्पादक

2756. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के घरेलू चाय उत्पादकों को प्रोत्साहन एवं अनुदान प्रदान करती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रोत्साहनों को प्रदान करने हेतु श्रेणियों एवं मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार उत्पादित चाय एवं/या हरी पत्तियों के प्रति किलोग्राम न्यूनतम संधारणीय मूल्य स्थापित करने की योजना रखती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चाय के लिए न्यूनतम संधारणीय मूल्य की दर और उसके निर्धारण के पीछे तर्क क्या हैं और यदि नहीं, तो चाय को न्यूनतम संधारणीय मूल्य का विस्तार न करने सहित इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार की चाय को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के क्षेत्राधिकार से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में स्थानांतरित करने की योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चाय के न्यूनतम संधारणीय मूल्य का विस्तार न करने के तर्क क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार लघु चाय उत्पादकों हेतु विशेष रूप में मिनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करने के लिए अनुदान प्रदान करने की योजना रखती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)**

(क): चाय बोर्ड देशभर में 'चाय विकास एवं संवर्धन योजना (टीडीपीएस)' कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, चाय बोर्ड चाय उत्पादकों को विभिन्न कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान करता है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, जीर्ण और कमजोर हो चुके चाय के पौधों का पुनः रोपण, चाय की

नर्सरी तैयार करना, जैविक प्रमाणीकरण एवं रूपांतरण में सहायता, छोटे उत्पादकों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) में संगठित करना और देश में उत्पादित चाय के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करना शामिल है। टीडीपीएस योजना की कार्यप्रणाली और दिशानिर्देश चाय बोर्ड की वेबसाइट https://teaboard.gov.in/pdf/Letter_to_stakeholders_03_10_2024_combined_pdf8764.pdf पर उपलब्ध हैं।

(ख): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि, चाय उत्पादकों, विशेष रूप से छोटे उत्पादकों को उचित मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए, चाय बोर्ड ने मूल्य साझाकरण सूत्र (पीएसएफ) प्रस्तुत किया है जिसके तहत उत्पादक और निर्माता के बीच बिक्री से प्राप्त आय का उचित बंटवारा हरे पत्ते और तैयार चाय की उत्पादन लागत के आधार पर एक निश्चित अनुपात में किया जाता है। इसके अलावा, पीएसएफ के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, हरी पत्तियों की कीमतें औसत नीलामी मूल्य के आधार पर तय की जाती हैं और प्रत्येक चाय जिले के लिए अधिसूचित की जाती हैं। उत्पादकों को हरी पत्तियों के मूल्य का भुगतान जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता वाली जिला हरी पत्ती मूल्य निगरानी समितियों द्वारा निगरानी में किया जाता है।

(ग): वर्तमान में, इस विभाग के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ): चाय विकास एवं संवर्धन योजना के अंतर्गत, चाय बोर्ड स्वयं सहायता समूहों/परिवारिक संगठन (एफपीओ) द्वारा लघु चाय कारखानों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मशीनरी और सिविल कार्यों पर किए गए वास्तविक खर्च का 40% वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति कारखाना 33.00 लाख रुपये (भूमि लागत को छोड़कर) है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के मामले में, मशीनरी और सिविल कार्यों पर किए गए वास्तविक खर्च का 50% वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति कारखाना 50.00 लाख रुपये (भूमि लागत को छोड़कर) है।
